बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258/2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया के विरूद्ध वार्ड नं0–22, शहरी क्षेत्र, समस्तीपुर अन्तर्गत श्री अमोल कुमार, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, FPS No. 122100201017 एवं कार्यपालक सहायक/कॉर्डिनेटर की मिली–भगत से सुनियोजित तरीके से MO Login एवं Password का दुरूपयोग कर राशन कार्डधारियों के नॉमिनी के माध्यम से खाद्यान्न का अनुचित ढंग से उठाव/Transaction किये जाने, सरकार द्वारा संचालित जन– कल्याणकारी योजना का गलत ढंग से लाभ उठाकर सरकारी राशि का दुरूपयोग/विचलन करने, विभागीय निदेशों की अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता जैसे आरोपों के लिए विभाग स्तर से गठित आरोप पत्र के आलोक में इनसे लिखित अभिकथन की माँग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन/बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प ज्ञापांक–547 दिनांक–30.01.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–17 के तहत श्री सिन्हा के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन के क्रम में इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये जाने के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक–199895 दिनांक–04.02.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत इनकी 02 वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश के विरूद्ध श्री सिन्हा द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा सुनवाई के क्रम में दिनांक–27.08.2025 को पारित आदेश के माध्यम से श्री सिन्हा के विरूद्ध संसूचित दण्डादेश ज्ञापांक–199895 दिनांक–04.02.2025 को निरस्त (set aside) किया गया। साथ ही, अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया। अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के आलोक में विभागीय पत्रांक–2489 दिनांक–19.09.2025 द्वारा श्री सिन्हा से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–18(2) एवं 18(3) में निहित प्रावधान के आलोक में लिखित अभिकथन की माँग की गयी।

उक्त के क्रम में श्री सिन्हा द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष समर्पित अपील अभ्यावेदन, जिसे अपीलीय प्राधिकार द्वारा स्वीकार किया गया है, की पुनरावृत्ति करते हुए अंकित किया गया है कि कार्यपालक सहायक/कॉर्डिनेटर एवं विक्रेता श्री अमोल कुमार के साथ मिलकर MO Login/Password का दुरूपयोग कर खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी है। यद्यपि विक्रेता द्वारा जाँच प्राधिकार के समक्ष लिखित रूप से स्वीकार किया गया है कि कतिपय लाभुक विविध कारणों से खाद्यान्न से वंचित रह जाते थे, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता के हित में स्वच्छ मंशा से MO Login/Password का उपयोग कर खाद्यान्न का वितरण किया गया। तदापि यह कृत्य विक्रेता के अधिकार क्षेत्र से परे एवं आपूर्ति निरीक्षक/पदाधिकारी की जवाबदेही के प्रतिकूल है। फलतः प्रतिवेदित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होने की श्रेणी में है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित)

के संगत प्रावधानों के तहत श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258 / 2024), तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, कल्याणपुर, समस्तीपुर–सह–प्रभारी समस्तीपुर सदर सम्प्रति आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया को निन्दन (आरोप वर्ष 2023–24) एवं 02 वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड संसूचित करते हुए प्रस्तुत आरोप प्रक्रम को समाप्त किया जाता है।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(समस्तीपुर)–11 / 2023 – 3330 खाद्य, पटना / दिनांक–23/06/2026

प्रतिलिपि–1. जिला पदाधिकारी, पूर्णिया एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्णिया एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया सदर एवं समस्तीपुर सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. अवर सचिव, प्रशाखा–03 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. श्री आतिश सिन्हा (बिहार आपूर्ति सेवा, कोटि क्रमांक–258 / 2024), आपूर्ति निरीक्षक, के0 नगर, पूर्णिया, Mobile No. 9304314149, E-Mail : aatish2002@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।